W.S.

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

प्रेषक

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1– प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
समस्त जनपद, उ0प्र0

2– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः विशेष प्रशिक्षण निर्देश/ 2350 /2013–14 दिनांकः 27 अगस्त, 2013

विषयः वर्ष 2013–14 में 6–14 वय वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामाकंन के उपरान्त विशेष प्रशिक्षण (Special Training) कराये जाने एवं धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009" के धारा–4 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमावली दिनांक 27.07.2011 के नियम–3 के अन्तर्गत 6–14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल एवं ड्राप ऑउट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आयुसंगत (Age appropriate) कक्षा में नामांकित कराकर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रावधानित है। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 में प्राप्त अनुमोदन तथा जनपदों द्वारा प्रेषित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष कुल स्वीकृत बजट की 60 प्रतिशत धनराशि अर्थात ₹ 70394400.00 (सात करोड़ तीन लाख चौरान्बे हजार चार सौ मात्र) अवमुक्त की जा रही है। जनपदों से यह अपेक्षा है कि उनके द्वारा प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हुए यथा आवश्यकता शेष धनराशि की मांग ससमय की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विवरण **परिशिष्ट–क** पर संलग्न है।

उक्त के कम में प्रथमतः 6–14 आयु वर्ग के चिन्हित आउट आफ स्कूल बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उनकी आयु संगत कक्षा में नामांकित कराये जाने के उपरान्त उनके शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन करते हुए उन्हें उपयुक्त कक्षा की दक्षता के अनुरूप लाने के लिये विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है। विशेष प्रशिक्षण कार्यकम की अधिकतम अवधि 06 माह निर्धारित है। उक्त अवधि की समाप्ति के उपरान्त विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ कर उपयुक्त कक्षा में नियमित किया जायेगा।

दूरभाषः 2780995, 2780998 फैक्सः 0522-2781123, 2780998, 2781534 ई-मेलः spdup@rediffmail.com; upefaspo@gmail.com वेब-साइटः www.upefa.com

विशेष प्रशिक्षण (Special Training) कार्यक्रम के सम्बन्ध में निर्देश निम्नवत् है:-

- प्राथमिक स्तर के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन **01 सितम्बर 2013** से तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन **01 अक्टूबर 2013** से प्रारम्भ कर दिया जाये।
- मास्टर ट्रेनर द्वारा प्राथमिक स्तरीय अध्यापक/विशेष प्रशिक्षकों का 04 दिवसीय प्रशिक्षण 28 अगस्त 2013 तक पूर्ण कराया जाना है।
- सर्वप्रथम 6–14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले अथवा ड्राप आउट बच्चों का चिन्हांकन एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त नामांकन कराकर उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में ऐसे बच्चों का विवरण प्रस्तुत किया जाय तथा नामांकन में समिति का सहयोग लिया जाय।
- आयु संगत कक्षा में नामांकन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के शैक्षणिक स्तर का आंकलन किया जायेगा। तदोपरान्त विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- विशेष प्रशिक्षण उसी विद्यालय परिसर में दिया जायेगा जहॉ बच्चा नामांकित है।
- विशेष प्रशिक्षण का संचालन विद्यालय अवधि में किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण की अधिकतम् अवधि 06 माह होगी।
- आयु संगत कक्षा में प्रवेश कर विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् कक्षा के अन्य बच्चों के साथ शैक्षणिक और भावात्मक रूप से सफलतापूर्वक जुड़ने योग्य बनाने के लिए बच्चों का अध्यापकों व इससे जुड़े अधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्र संख्या के आधार पर विशेष प्रशिक्षक की अर्हता एवं उन्हें दिये जाने वाला मानदेय का विवरण निम्नवत् है–

बच्चों की संख्या	विशेष प्रशिक्षक	देय मानदेय
10 या 10 से अधिक बच्चे	सेवानिवृत्त अध्यापक	रू0 4000/– प्रतिमाह
5 या 5 से अधिक बच्चे	सेवानिवृत्त अध्यापक	रू0 2000/– प्रतिमाह
05 से कम बच्चे	सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापक/शिक्षामित्र	कोई भुगतान नहीं

नोट–सेवानिवृत्त अध्यापक उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/शिक्षामित्र द्वारा प्रदान किया जायेगा परन्तु इस हेतु उन्हें किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।

- सेवा निवृत्त अध्यापक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने का विनिश्चय विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त ही विद्यालय के अध्यापक अथवा शिक्षामित्र को यह कार्य प्रधानाध्यापक द्वारा सौंपा जायेगा।
- प्रत्येक बच्चों को संघनित पाठ्यपुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री नामांकन के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगीं।
- विशेष प्रशिक्षण हेतु सेवा निवृत्त अध्यापक के चयन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त कर गठित समिति के समक्ष चयन हेतु प्रस्तुत किये जायेगें। समिति के अनुमोदनोपरान्त उन्हें विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण में योजित किया जायेगा।

चयन हेतु गठित समिति निम्नवत् है–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
जिला समन्वयक (विशे0 प्रशिक्षण)	सदस्य सचिव
सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा नगर क्षेत्र में नगर शिक्षा अधिकारी	सदस्य

- विशेष प्रशिक्षक का चयन नितान्त अस्थायी रूप से होगा तथा विशेष प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण की धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। तत्पश्चात् सम्बन्धित समिति द्वारा चेक अथवा बैंक खाते के माध्यम से सम्बन्धित विशेष प्रशिक्षक को देय भुगतान किया जायेगा। भुगतान के पूर्व विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या की भली प्रकार पुष्टि कर ली जायेगी।
- विशेष प्रशिक्षण की अवधि मे शिक्षक द्वारा निरन्तर बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट दिया जायेगा। 06 माह के विशेष प्रशिक्षण के उपरान्त प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन कर देखा जायेगा कि वह किस कक्षा की दक्षता स्तर का है। तदनुसार बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
- जिन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया गया है तथा जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, उन्हें अन्य बच्चों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान की जायेगी।

प्रशिक्षण–पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण माड्यूल एवं संघनित पाठ्य पुस्तकें

- विगत वर्ष की भांति वर्ष 2013–14 हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय संघनित प्रशिक्षण सामग्री शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि संघनित प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त होते ही तत्काल सम्बन्धित विद्यालयों को उपलब्ध करा दी जाय।
- समस्त जनपदीय अधिकारियों हेतु एवं बी0आर0सी0 के लिए शिक्षण माड्यूल, संघनित पाठ्यक्रम एवं 06 संघनित पाठ्य पुस्तकों के सेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन के उपरान्त उक्त पुस्तकें सम्बन्धित अधिकारियों के पास सुरक्षित रखी जायेंगी।
- प्राथमिक स्तर के संघनित पाठ्य पुस्तकों में हिन्दी (कक्षा 2 व 3 के लिए), गणित (कक्षा 2 व 3 के लिए), अंग्रेजी (कक्षा 2,3,4 व 5 के लिए) तथा विज्ञान (कक्षा 3, 4 व 5 के लिए) कुल 04 पुस्तकें 7–8 आयुवर्ग के बच्चों को उपलब्ध करायी जाय।
- विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नामांकित प्रत्येक बच्चे को स्कूल बैग में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षण सामग्री रखकर किट के रूप में उपलब्ध करायी जाय।
- जनपदों में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विशेष प्रशिक्षण हेतु चयनित सेवानिवृत्त अध्यापक/अध्यापक एवं शिक्षामित्र को 04 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन विद्याालयों में 04 या 04 से कम आउट ऑफ स्कूल बच्चें नामाकिंत हैं, सम्बन्धित विद्यालय के शिक्षक को भी प्रशिक्षण माड्यूल उपलब्ध कराकर प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण जनपद की सुविधानुसार डायट अथवा बी0आर0सी0 पर प्रशिक्षित संदर्भदाताओं द्वारा दिया जायेगा।

- प्रशिक्षण हेतु रूपये 800/– प्रति प्रशिक्षक की दर से धनराशि जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। जिला समन्वयक (विशेष प्रशिक्षण) का दायित्व होगा कि यथासम्भव डायट में अथवा परिस्थिति अनुसार बी0आर0सी0 पर प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा तदनुसार प्रशिक्षण की धनराशि हस्तांतरित करायें। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जनपद के डायट के प्राचार्य से समन्वय स्थापित करने के उपरान्त प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया जाये।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

- विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यालय प्रबन्ध समिति का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाय। विद्यालय प्रबन्ध समिति के समक्ष सम्पूर्ण कार्ययोजना रखी जाये तथा बैठक आयोजित कर चर्चा की जाये।
- बच्चों के अभिभावक एवं माता–पिता के साथ नियमित बैठकें करायी जाय तथा बच्चों की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता व सीखने की प्रगति सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त की जाय।
- विशेष प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का नियमित अनुश्रवण किया जाये।
- विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर नियमित कराया जाये।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी, सहसमन्वयकों एवं जिला समन्वयकों द्वारा माह में कम से कम दो बार प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण अवश्य किया जाये।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति का यह दायित्व होगा कि नियमित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- जिला समन्वयक (विशेष प्रशिक्षण) द्वारा अनिवार्य रूप से यह जानकारी प्राप्त की जाये कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे अनुपस्थित तो नही हो रहे हैं। लगातार अनुपस्थित पाये जाने पर उनके कारणों का पता लगाकर उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये।
- विशेष प्रशिक्षण के संचालन के समय तथा अवधि की सूचना विद्यालय के सूचना पट्ट पर लगायी जाये।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी एवं बी0आर0सी0 सह समन्वयकों एवं जिला समन्वयक (विशेष प्रशिक्षण) द्वारा विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया जाये तथा उनमें अध्ययनरत बच्चों तथा उनके द्वारा सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों की फोटोग्राफी की जाये एवं निरीक्षण आख्या के साथ उक्त फोटोग्राफ भी संलग्न किये जाये।
- नि:शक्तताग्रस्त बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन एवं विद्यार्जन के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति की सहभागिता सुनिश्चित करायी जाये तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक अनुश्रवण कराया जाय।
- **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह की प्रगति से जिला परियोजना शिक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी को सूचना संलग्न प्रपत्र –1 एवं 2 पर अवगत करायेगें जिसकी प्रति राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।**

- बच्चों की संख्या के आधार पर संचालित केन्द्रों का विवरण **प्रपत्र–3 एवं 4** पर उपलब्ध कराया जायेगा।

केन्द्र संचालन हेतु वित्तीय व्यवस्था/प्रबंधन –

- विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 मे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि की **60 प्रतिशत धनराशि परिशिष्ट–क** के अनुसार इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर से जनपदों को प्रेषित की जा रही है।
- विशेष प्रशिक्षण हेतु अभीष्ट धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी जाये।
- विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु मदवार अनुमन्य धनराशि तथा बच्चों को उपलब्ध करायी जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री की सूची **परिशिष्ट–ख** पर संलग्न है।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, एवं जिला समन्वयक (विशेष प्रशि0) का यह दायित्व होगा कि निर्देश की प्रति सभी ब्लाक समन्वयकों/सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को अवश्य उपलब्ध करायी जाय ताकि निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों मे यह कार्यक्रम सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में विशेष प्रशिक्षण हेतु व्यय की गयी धनराशि का विवरण **प्रपत्र–5** के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें तथा स्वीकृत गतिविधियाँ/कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उक्त **धनराशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एवं प्रोक्योरमेन्ट प्रावधानों** के अनुरूप वास्तविक आधार पर कराने एवं व्यय विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ.संख्या– विशेष प्रशि0 निर्देश/2350/2013–14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3– जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
4– शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5– निदेशक, साक्षरता, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उ.प्र., लखनऊ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0 इलाहाबाद।
6– वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
7– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ.प्र.।
8– पाठ्यपुस्तक अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक

वर्ष 2013–14 मे विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण

परिशिष्ट–क

क0 सं0	जनपद	कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या	07 से 10 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या	11 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या	कुल स्वीकृत बजट (@ ₹3000/– प्रति बच्चा की दर से)	जनपदों को कुल स्वीकृत बजट की अवमुक्त 60 प्रतिशत धनराशि	राज्य परियोजना कार्यालय पर अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	1313	933	380	3939000	2363400	1575600
2	अलीगढ़	757	580	177	2271000	1362600	908400
3	इलाहाबाद	924	525	399	2772000	1663200	1108800
4	अम्बेडकर नगर	121	69	52	363000	217800	145200
5	औरैया	84	28	56	252000	151200	100800
6	आज़मगढ़	428	209	219	1284000	770400	513600
7	बदायूँ	531	239	292	1593000	955800	637200
8	बागपत	455	281	174	1365000	819000	546000
9	बहराइच	292	97	195	876000	525600	350400
10	बलिया	158	98	60	474000	284400	189600
11	बलरामपुर	1272	524	748	3816000	2289600	1526400
12	बाँदा	100	22	78	300000	180000	120000
13	बाराबंकी	841	245	596	2523000	1513800	1009200
14	बरेली	1003	519	484	3009000	1805400	1203600
15	बस्ती	107	66	41	321000	192600	128400
16	भदोही	449	182	267	1347000	808200	538800
17	बिजनौर	847	375	472	2541000	1524600	1016400
18	बुलन्दशहर	1798	1074	724	5394000	3236400	2157600
19	चन्दौली	429	185	244	1287000	772200	514800
20	सी0एस0एम0 नगर	395	172	223	1185000	711000	474000
21	चित्रकूट	190	59	131	570000	342000	228000
22	देवरिया	292	160	132	876000	525600	350400
23	एटा	199	124	75	597000	358200	238800
24	इटावा	160	64	96	480000	288000	192000
25	फैजाबाद	420	184	236	1260000	756000	504000
26	फर्रुखाबाद	345	221	124	1035000	621000	414000
27	फतेहपुर	205	101	104	615000	369000	246000
28	फ़िरोज़ाबाद	393	260	133	1179000	707400	471600
29	गौतमबुद्ध नगर	701	415	286	2103000	1261800	841200
30	गाजियाबाद	593	357	236	1779000	1067400	711600
31	गाजीपुर	442	250	192	1326000	795600	530400
32	गोण्डा	308	182	126	924000	554400	369600
33	गोरखपुर	306	155	151	918000	550800	367200
34	हमीरपुर	170	51	119	510000	306000	204000
35	हरदोई	332	159	173	996000	597600	398400
36	हाथरस	462	254	208	1386000	831600	554400
37	जालौन	313	211	102	939000	563400	375600
38	जौनपुर	231	97	134	693000	415800	277200
39	झाँसी	146	88	58	438000	262800	175200
40	जे0 पी0 नगर	585	299	286	1755000	1053000	702000

क0 सं0	जनपद	कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या	07 से 10 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या	11 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या	कुल स्वीकृत बजट (@ ₹3000/– प्रति बच्चा की दर से)	जनपदों को कुल स्वीकृत बजट की अवमुक्त 60 प्रतिशत धनराशि	राज्य परियोजना कार्यालय पर अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
41	कन्नौज	62	19	43	186000	111600	74400
42	कानपुर देहात	76	39	37	228000	136800	91200
43	कानपुर नगर	735	528	207	2205000	1323000	882000
44	कांशीराम नगर	113	65	48	339000	203400	135600
45	कौशाम्बी	156	50	106	468000	280800	187200
46	कुशीनगर	964	376	588	2892000	1735200	1156800
47	लखीमपुर खीरी	1827	550	1277	5481000	3288600	2192400
48	ललितपुर	594	206	388	1782000	1069200	712800
49	लखनऊ	713	396	317	2139000	1283400	855600
50	महाराजगंज	280	150	130	840000	504000	336000
51	महोबा	320	117	203	960000	576000	384000
52	मैनपुरी	158	79	79	474000	284400	189600
53	मथुरा	629	268	361	1887000	1132200	754800
54	मऊ	472	239	233	1416000	849600	566400
55	मेरठ	346	201	145	1038000	622800	415200
56	मिर्जापुर	90	50	40	270000	162000	108000
57	मुरादाबाद	256	114	142	768000	460800	307200
58	मुजफ्फर नगर	1198	537	661	3594000	2156400	1437600
59	पीलीभीत	494	302	192	1482000	889200	592800
60	प्रतापगढ़	185	114	71	555000	333000	222000
61	रायबरेली	1235	437	798	3705000	2223000	1482000
62	रामपुर	970	406	564	2910000	1746000	1164000
63	सहारनपुर	462	244	218	1386000	831600	554400
64	संत कबीर नगर	130	58	72	390000	234000	156000
65	शाहजहाँपुर	831	271	560	2493000	1495800	997200
66	सिद्धार्थ नगर	1187	316	871	3561000	2136600	1424400
67	सीतापुर	869	282	587	2607000	1564200	1042800
68	सोनभद्र	3194	1499	1695	9582000	5749200	3832800
69	श्रावस्ती	205	92	113	615000	369000	246000
70	सुल्तानपुर	80	25	55	240000	144000	96000
71	उन्नाव	170	49	121	510000	306000	204000
72	वाराणसी	350	224	126	1050000	630000	420000
73	पंचशीलनगर(हापुड़)	318	119	199	954000	572400	381600
74	भीमनगर(सम्भल)	125	26	99	375000	225000	150000
75	प्रबुद्धनगर(शामली)	217	68	149	651000	390600	260400
	योग	**39108**	**18630**	**20478**	**117324000**	**70394400**	**46929600**

विशेष प्रशिक्षण केन्द्र हेतु मदवार बजट

विशेष प्रशिक्षण हेतु मानदेय की व्यवस्था

बच्चों की संख्या	विशेष प्रशिक्षक	देय मानदेय
10 या 10 से अधिक बच्चे	सेवानिवृत्त अध्यापक	₹4000/– प्रतिमाह
5 या 5 से अधिक बच्चे	सेवानिवृत्त अध्यापक	₹2000/– प्रतिमाह
05 से कम बच्चे	सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापक/शिक्षामित्र	कोई भुगतान नहीं
नोट–सेवानिवृत्त अध्यापक उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/शिक्षामित्र द्वारा प्रदान किया जायेगा परंतु इस हेतु उन्हें किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।		

अन्य व्यय

मद	धनराशि रूपये
बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री/केन्द्र कन्टीजेन्सी	₹ 520.00 प्रति बच्चा
शिक्षकों का प्रशिक्षण @ ₹200 /– प्रतिदिन X 4 दिन (ब्लॉक/डायट स्तर पर आवासीय)	₹ 800.00 प्रति प्रशिक्षक

समस्त बच्चों को दी जाने वाली शिक्षण सामग्री

क्रम सं0	मद	संख्या (प्रति छात्र)
1	कापियॉ (120 पेज) हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित	12
2	पेन्सिल	06
3	रबर	03
4	कटर	02
5	क्रेयान	01 पैकेट
6	ज्यामेट्री वाक्स सहित स्केल (प्लास्टिक/लकड़ी) 12 इंच,	01 सेट
7	पेन (डॉट पेन)	03
8	आर्ट कॉपी	02
9	स्लेट एवं चाक	01 सेट
10	स्केच पेन	01 सेट
11	चार्ट पेपर	06
12	स्कूल बैग	01
13	राइटिंग पैड	01

अन्य उपकरण/सामग्री

क्रम सं0	सामग्री का नाम	संख्या
1	चॉक	03 डिब्बे
2	चार्ट (मानचित्र, यथा राज्य, देश, संसार) वर्णमाला–हिन्दी, अंग्रेजी, पशु पक्षी, फल, पहाड़े आदि	06
3	रजिस्टर (2 क्वायर)	04
4	छात्र उपस्थिति पंजिका	01
5	स्केल (प्लास्टिक/लकड़ी) 12 इंच, चांदा, परकार	01 सेट
6	स्कैच पेन	02 दर्जन
7	पोस्टल/वॉटर कलर	02 पैकेट
8	अबेकस छोटा	01
9	गोंद	100 ग्राम
10	कैंची	01
11	चार्ट पेपर	10

प्रपत्र–1

आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण

प्राथमिक स्तर

वर्ष 2013–14

जनपद–

क0 सं0	आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या	संचालित केन्द्रों की संख्या	संचालित केन्द्रों की संख्या			विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित बच्चों की संख्या								
			ग्रामीण	शहर	योग	ग्रामीण			शहर			कुल योग		
						बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक (7+10)	बालिका (8+11)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की प्रगति से जिला परियोजना शिक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी को अवगत करायेगे जिसकी प्रति राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

हस्ताक्षर
जिला समन्वयक (विशेष प्रशिक्षण)

हस्ताक्षर
(जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)

प्रपत्र–2

आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण
उच्च प्राथमिक स्तर
वर्ष 2013–14

जनपद–

क0 सं0	आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या	संचालित केन्द्रों की संख्या	संचालित केन्द्रों की संख्या			विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित बच्चों की संख्या								
			ग्रामीण	शहर	योग	ग्रामीण			शहर			कुल योग		
						बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक (7+10)	बालिका (8+11)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की प्रगति से जिला परियोजना शिक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे जिसकी प्रति राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

हस्ताक्षर
जिला समन्वयक (विशेष प्रशिक्षण)

हस्ताक्षर
(जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)

प्रपत्र–3

आउट आफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण का संचालन : वर्ष–2013–14

केन्द्र सूचना प्रपत्र प्राथमिक स्तर

दिनांक : ....

क्र0 सं0	जनपद का नाम	संचालित केन्द्रों की संख्या	विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त) द्वारा संचालित				सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापकों द्वारा संचालित		कुल संचालित केन्द्रों की संख्या (4+6+8)
			10 या 10 से अधिक बच्चों की उपलब्धता पर संचालित केन्द्रों की संख्या	विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त) की संख्या	05 या 05 से अधिक बच्चों की उपलब्धता पर संचालित केन्द्रों की संख्या	विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त) की संख्या	केन्द्रों की संख्या	सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापकों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हस्ताक्षर
जिला समन्वयक

हस्ताक्षर
बेसिक शिक्षा अधिकारी

आउट आफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण का संचालन : वर्ष–2013–14

प्रपत्र–4

केन्द्र सूचना प्रपत्र उच्च प्राथमिक स्तर

दिनांक : ....

क्र0 सं0	जनपद का नाम	संचालित केन्द्रों की संख्या	विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त) द्वारा संचालित				सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापकों द्वारा संचालित		कुल संचालित केन्द्रों की संख्या (4+6+8)
			10 या 10 से अधिक बच्चों की उपलब्धता पर संचालित केन्द्रों की संख्या	विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त) की संख्या	05 या 05 से अधिक बच्चों की उपलब्धता पर संचालित केन्द्रों की संख्या	विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त) की संख्या	केन्द्रों की संख्या	सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापकों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हस्ताक्षर
जिला समन्वयक

हस्ताक्षर
बेसिक शिक्षा अधिकारी

5

प्रपत्र–5

वि.तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत धनराशि तथा व्यय का विवरण प्रपत्र

जनपद का नाम : ....

दिनांक : ....

(हजार में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृत धनराशि	राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अवमुक्त धनराशि	जनपद द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति को अवमुक्त धनराशि	जनपद द्वारा व्यय की गयी धनराशि	जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि
1	विशेष प्रशिक्षण					

हस्ताक्षर
जिला समन्वयक

हस्ताक्षर
सहायक वित्त एवं लेखधिकारी

हस्ताक्षर
बेसिक शिक्षा अधिकारी